निर्णय बइजलास श्री राहुल कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 30.04.2024

प्रकरण संख्या : 120/दावा/14 तारीख दायरा :–02.01.2014

ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2014/00133

उनवान

रितिक कुमार उर्फ योगेष कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति कलाल आयु 12 वर्ष नि0 अकलेरा हाल नि0 पचपहाड तहसील पचपहाड जिला झालावाड नाबालिंग जर्ये संरक्षक माता गीता बाई पत्नि राजेन्द्र कुमार पुत्री राजेन्द्र जाति कलाल नि0 पचपहाड तहसील पचपहाड जिला झालावाड राज0

––––––वादी

बनाम

1– राजेन्द्र कुमार उर्फ राजू उर्फ राजेष पुत्र कन्हैयालाल जाति कलाल आयु 41 वर्ष नि0 हाट चोक अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0

2–कन्हैयालाल पुत्र बिषना जाति कलाल आयु 65 वर्ष नि0 हाट चोक अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0

3–कमलाबाई पत्नि कन्हैयालाल आयु 60 वर्ष जाति कलाल नि0 हाट चोक अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0

4–राहुल उर्फ शेलेन्द्र पुत्र राजेन्द्र आयु 21 वर्ष जाति कलाल नि0 हाट चोक अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0

5–नीलु पुत्री राजेन्द्र आयु 19 वर्ष जाति कलाल नि0 हाट चोक अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0

6– स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार अकलेरा

7–शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा अकलेरा।

धारा 88,89,91,53,188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक 30.04.2024

उपरिस्थिति :– वकील वादी श्री इन्द्रलाल गुप्ता
वकील प्रतिवादी श्री उमाशंकर कलवार

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने [illegible] धारा **88,89,91,53,188** आर0टी0एक्ट इस आषय का प्रस्तुत किया है कि कस्बा अक[illegible] तहसील अकलेरा के माल में नई खातोनी नं. 37 की खसरा नं. 828 की 0.17 बीधा बारानी खसरा नं. 846 की 0.14 बीधा बारानी 847 की 7.13 बीधा बारानी 1303/930 की 2.[illegible] बीधा चाही खसरा नं. 949 की 02 बीधा कुल किता 5 किता की 11.06 बीधा आराजी कन्हैयालाल पुत्र बिषना कलाल प्रतिवादी नं. 2 के खाते स्थित है। तथा जमाबंदी नं. 46 की खसरा नं. 1283/843 की 6.02 बीधा आराजी कमला बाई पत्नि कन्हैयालाल प्रतिवादी कम तीन के खातेदारी में स्थित है। वाद में वर्णित आराजी वादी की पेतृक संपत्ती है जिसमें वादी को कानुनन जन्म से ही अधिकार प्राप्त है कन्हैयालाल वादी का दादा एंव कमला बाई दादी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.28 16:31:15 IST
Reason: SelfAttested

कन्हैयालाल एंव कमलाबाई पति पत्नि है तथा उनका एक पुत्र राजू उर्फ राजेन्द्र कुमार है राजु उर्फ राजेन्द्र कुमार के एक पुत्र वादी रितिक कुमार उर्फ योगेष कुमार है तथा दुसरा पुत्र राहुल एंव एक पुत्री नीलू है उक्त तीनो वादी रितिक कुमार राहुल एंव नीलू का वाद की मद नं. 1 वर्णित आराजी पुस्तेनी होने से हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत जन्म से अधिकार प्राप्त है तथा वे अपना हिस्सा पृथक खाता कराने के अधिकारी है। वाद की मद नं 1 में वर्णित आराजी में वादी के पिता राजेन्द्र का 1/2 हिस्सा बनता है उसके हिस्से में से तीनों संतान एंव स्वंय का हिस्सा अर्थात 1/8, 1/8 हिस्सा प्रत्येक का बनता हैं। वादी 1/8 हिस्से की आराजी प्राप्त करने का अधिकारी है। खाता शामील ही है। कोई विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादी राजु उर्फ राजेष की पत्नि गीता बाई है परन्तु राजेष ने उसके हिस्से कई बार लडाई झगडा किया और उसे अपने पुत्र सहित घर सें निकाल दिया ओर उनकी कोई देख रेख नही करता है। पुर्व में भी वादी ने इस संबंध में दावा किया है। उस समय प्रतिवादी ने वादनी को बहला फुसला कर अपने साथ रख लिया था इस कारण वादी ने अपने पूर्व दावा नं. 4/2007 दिनांक 16.06.2008 को विड्रो कर लिया था परन्तु पुनः प्रतिवादी राजेष ने वादी कि माता को मार पीट कर घर से बहार अरसा लगभग 1 वर्ष पुर्व भगा दिया था। तब से वादी अपनी मॉ के पास रह रहा है। वादी नाबालिग है उसकी माता गीताबाई ही वादी की संरक्षक है। अतः वादी रितिक कुमार का संरक्षक माता गीता बाई कों बनाकर यह दावा पेष किया है। यह कि प्रतिवादी कन्हैयालाल एवं कमलाबाई राजेन्द्र कुमार आराजी कों बेच कर उसे खुर्द बुर्द करना चाहते है ताकि वादी अपने अधिकारो से वंचित रह जाये। यदि प्रतिवादी ने आराजी का बेचान रहन कर दिया तो वादी को आपार हानि होगी जिसकी पुर्ति संभव नही है । वादी असहाय हो जावेगा। वादी ने दिनांक 30.09.13 को प्रतिवादी कम 1,2,3 से खाता विभाजन कर वादी का हिस्सा पृथक खाते करने बाबत् कहा तो वे इन्कार हो गये। अतः दिनांक 30.09.13 को खाते विभाजन में इंकार हो जाने एंव जमीन का बेचान रहन करने कि धमकी देने वाद मे वाद हेतु उत्पत्र हुआ है। अतः: वाद पेष कर निवेदन है कि वादी को वाद कि मद नं. 1 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बरान की आराजी के 1/8 हिस्से का वादी को पृथक खातेदार घोषित किया जावे तथा 1/8 हिस्सा वादी का पृथक खाते दर्ज किया जाकर कब्जा दिलवाया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान कि जावे। प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वे वादी के कब्जे में किसी प्रकार कि दखल अंदाजी न स्वय करे ना किसी से करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है की यह कि वाद कि मद नं. 1 में वर्णित आराजी प्रतिवादी नं. 2 व 3 के खाते में होना स्वीकार है। वर्णित आराजी पेतृक सम्पत्ति नही है बल्कि प्रतिवादी नं. 2 व 3 द्वारा खरीद कि गई स्वअर्जिज सम्पत्ति है इसलिए वादी का उक्त आराजी में कोई अधिकार कानुन नही बनता है। इस लिए यह मद अस्वीकार है। यह कि वाद की मद नं. 3 सर्वथा गलत एंव अस्वीकार है मद में वर्णित वादी द्वारा कोई दावा यदि पेष किया गया है तो पुन उसी वाद से सम्बंधित [illegible] करना कानुनन वर्जित है मद नं 4 सर्वथा गलत एंव अस्वीकार है तथा वादी कि [illegible] नं. 1 [illegible] वर्णित आराजी प्रतिवादी 2 व 3 द्वारा स्वअर्जित है इसलिए उसका उपयोग उपभोग एंव [illegible] करने का भी प्रतिवादी नं. 2 व 3 को अधिकार है। मद नं. 5 सर्वथा गलत एंव अस्वीकार है दिनांक 30.09.2013 को वादी एंव प्रतिवीगण के मध्य कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ [illegible] वाद की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पुस्तेनी सम्पत्ति नही है बल्कि प्रतिवादी नं. 2 व 3 की खरीद शुदा स्वअर्जित सम्पत्ति है इसलिये उक्त आराजी में वादी का कानुनन कोई अधिकार नही बनता है। यह कि खातोनी सं0 37 की खसरा 828 की 17 बिस्वा खं0 नं. 846 की 14 बिस्वा 847 की 7 बीधा 13 बिस्वा 949 की 2 बिस्वा 1303/930 की 2 बीधा 5 किता कि 11 बीधा 6 बिस्वा आराजी प्रतिवादीगण नम्बर 2 के खाते स्थित हैं तथा उक्त आराजी प्रतिवादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.28 16:31:15 IST
Reason: SelfAttested

स्वअर्जित सम्पत्ति हैं जो की दिनांक 15–9–73 को वजीर मोहम्मद वल्द इलाहीबक्स पिजारा अकलेरा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। रजिस्टी एंव नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति पेष है इसलिये वादी का वाद खारीज होने योग्य है। वाद की मद नं. 1 में वर्णित खातोनी संख्या 46 की खसरा नं. 1283/843 की 6 बीघा 2 बिस्वा आराजी को कमलाबाई प्रतिवादी नं. 3 ने जरिये रजिस्टी धापूबाई /किषना कलाल निवासी अकलेरा से 2.6.83 को खरीद की थी प्रमाणित रजिस्टी एंव नामान्तकरण कि प्रति पेष है इसलिये वादी का वाद पुष्तेनी आराजी नही होने से चलने योग्य नही वाद खारीज होने योग्य है। यह कि दिनांक 30.09.2013 को कोई वाद कारण उत्तपन्न नही हुआ क्योकि वाद की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पुष्तेनी सम्पति नही है इसलिये बिना वाद कारण के वाद खारीज होने योग्य है। अतःजवाब दावा पेष कर निवेदन है की वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे एंव प्रतिवादी को वादी से विषेष हर्जा दिलाया जावे।

वाद पत्र तथा जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की गयी जो वाद पत्र के साथ संलग्न है। तनकीयात् के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा गवाह के बंयानात लिये जाकर शमिल पत्रावली किये गये। बहस विद्ववान अधिवक्ता उभयपक्ष श्रवित की गयी पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रैकार्ड का अवलोकन करने के पष्चात् निम्न प्रकार तनकीवार विवेचन किया जाता है।

तनकी न0 1 – आया वाद की मद नम्बर 1 मे वर्णित आराजी वादी की पेतृक पुष्तैनी सम्पत्ति है। जिसमे वादी का जन्म से ही 1/8 हिस्सा कानूनन है। जिसे वह पृथक कराने का अधिकारी है।

——————वादी

इस तनकी को साबित करने के लिए वादी द्वारा नकल जमाबन्दी ग्राम अकलेरा खाता संख्या 46 संवत 2068–2071 EXP-1 , खाता संख्या 37 संवत 2068–2071 EXP-2 , नकल आदेष टी.आई 212 EXP-3 व नकल आदेष दावा 16.06.2008 EXP-4 का अवलोकन किया गया जिससे यह साबित नही होता है कि वर्णित आराजी वादी की पुष्तैनी आराजी है। जबकि प्रतिवादी द्वारा बैनामा EXD2A – EX1A की प्रति पेष की है जिसमे खातोनी सं0 37 की खसरा 828 की 17 बिस्वा खं0 नं. 846 की 14 बिस्वा 847 की 7 बीधा 13 बिस्वा 949 की 2 बिस्वा 1303/930 की 2 बीधा 5 किता कि 11 बीधा 6 बिस्वा आराजी प्रतिवादीगण नम्बर 2 के खाते स्थित हैं तथा उक्त आराजी प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पत्ति हैं जो की दिनांक 15–9–73 को वजीर मोहम्मद वल्द इलाहीबक्स पिजारा अकलेरा व खातोनी संख्या 46 की खसरा नं. 1283/843 की 6 बीघा 2 बिस्वा आराजी को कमलाबाई प्रतिवादी नं. 3 ने जरिये रजिस्टी धापूबाई /किषना कलाल निवासी अकलेरा से 2.6.83 को खरीद कर कब्जा प्राप्त करना दस्तावेजो के अवलोकन से स्वयं की खरीद शुदा आराजी होना साबित होता है। वर्णित आराजी प्रतिवादी के स्वयं की खरीद शुदा आराजी होने से कानूनन वादी का इसपर कोई अधिकार नही है। अतः यह तनकी इसी प्रकार वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.28 16:31:15 IST
Reason: SelfAttested

तनकी न0.2 –आया वादी ने इसी आराजी के संबंध मे पूर्व मे वाद पेष [illegible] राजीनामा होने से विड्रो करा लिया था। अतः अब [illegible] है।

———————प्रतिवादी

प्रतिवादी राजेन्द्र द्वारा अपने बयानो मे व्यक्त किया है [illegible] दावा किया था जिसमे राजीनामा हो गया था जिसके बाद वादी व उसकी [illegible]ताबाई हमारे साथ रहने लग गई थी। गीताबाई द्वारा भी अपने बयानो मे यह इकरार किया है कि खर्चे का दावा किया था जिसमे राजीनामा हो गया था जिसके बाद राजेन्द्र कुमार उसको वापस साथ ले आये थे। वादी का कथन वाद मे प्रस्तुत नकल आदेष दावा 16.06.2008 EXP-4 से साबित होता है। अतः यह तनकी इसी प्रकार प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी न0 3 – आया दिनांक 30.09.2013 को खाता विभाजन से इंकार होने से वांद हेतु उत्पत्र है। ————→वादी

वर्णित आराजी पुष्तेनी सम्पत्ति नही है इसलिये बिना वाद कारण उत्पत्र होना साबित नही होता है। अतः यह तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी न0 4 – आया वाद उचित कोर्ट फीस पर पेष नही होने से चलने योग्य नही है।
————प्रतिवादी

प्रस्तुत वाद का अवलोकन किया गया जिससे यह साबित होता है कि प्रस्तुत वाद उचित कोर्ट फीस पर ही प्रस्तुत किया गया है अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी न0 5 – आया वाद मियाद बाहर पेष किया गया है। ————प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी का था प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य या दस्तावेजो द्वारा यह साबित नही किया है कि उक्त वाद मियाद बाहर पेष किया गया हो अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्त तनकियात् के विवेचन के आधार पर वाद वादीगण वाद को साबित करने मे विफल होने से वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को सरे इजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी अकलेरा

उपखण्ड अधिकारी
अकलेरा (झालावाड़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.28 16:31:15 IST
Reason: SelfAttested